फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
गजेन्द्रसिंह पुत्र विजयसिंह जाति राजपूत निवासी धणी तहसील बाली वगैरा		राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. -2025/339

वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
25/06/25	तहसीलदार बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम धणी स्थित भूमि खसरा नंबर 146 रकबा 10.1000 हैक्टर किस्म जाव दोयम कुल लगान 111.1000 रूपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हलका, धणी एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय के साथ तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की प्रति रिकार्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)	

Scanned with CamScanner

डिगरी मुकदमें इब्तदाई
(ऑ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं परगना उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश बिश्नोई, आर.ए.एस.

वादीगण
गजेन्द्रसिंह पुत्र विजयसिंह जाति राजपूत
निवासी धणी तहसील बाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादी
राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

<u>किस्म मुकदमा राजस्व वाद **GCMS NO. 2025/** 337</u>
<u>*वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955*</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कताई रूबरू हमारे समक्ष पेरोकार सरकार मिनजानिब मुद्दई व .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम धणी स्थित भूमि खसरा नंबर 146 रकबा 10.1000 हैक्टर किस्म जाव दोयम कुल लगान 111.1000 रूपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हल्का, धणी एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25-06-25 को जारी की गई।

(दिनेश बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं परगना
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलक्टर एवं परगना
उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी
बाली, जिला - पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

()

: 25/06/2025 10:24:13 AM

:

... :

:

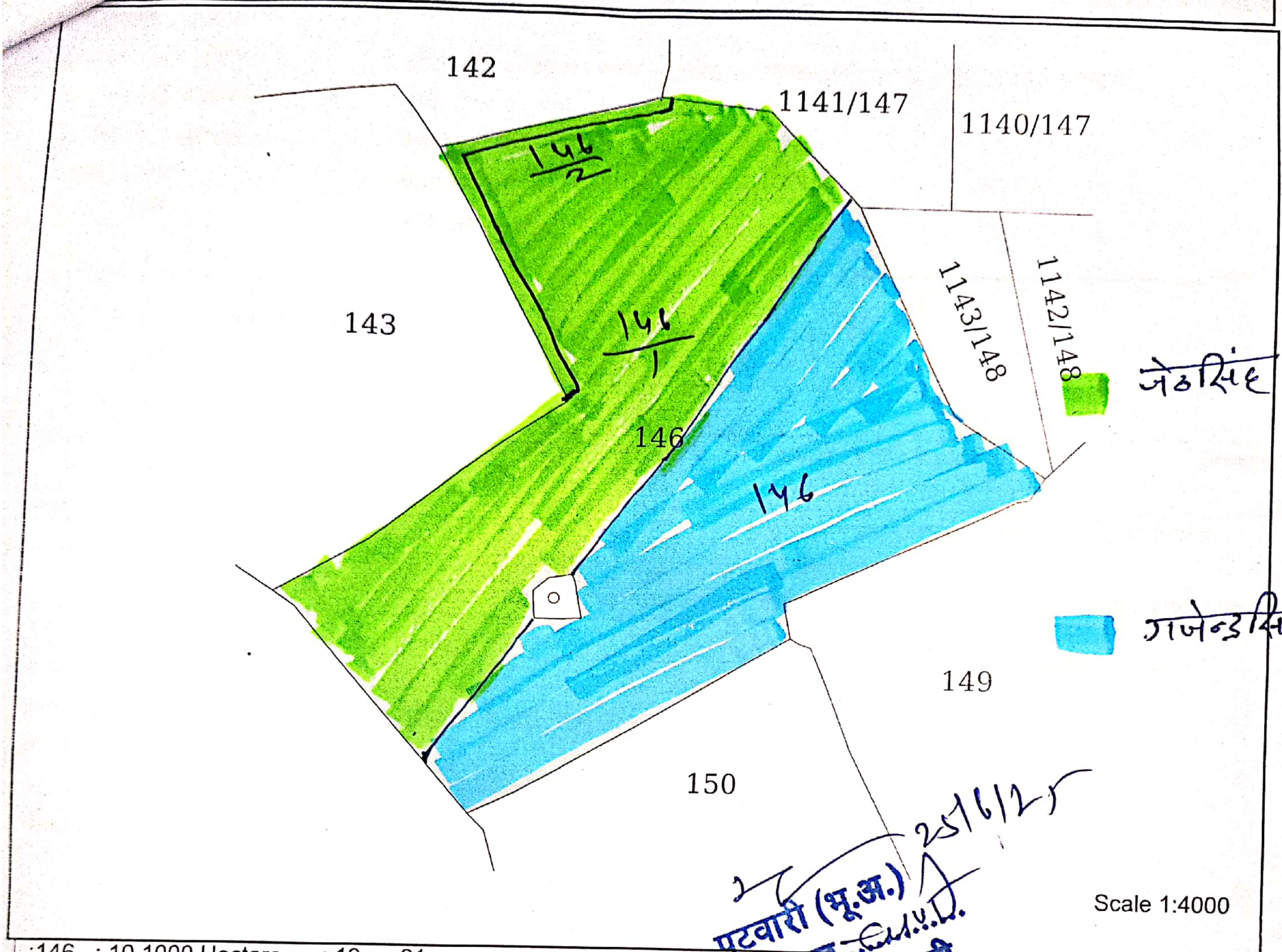

:146 : 10.1000 Hectare : 19 :21

[ ]: [10.1000, 111.10]

1.) - 1/2 - . -1/2 ( ) FALNA

2.) - 1/2 - .

25/6/25

पटवारी (भू.अ.)
पटवार मण्डल.........
तह.बाली, जिला-पाली

राजेन्द्र सिंह
भू-अभिलेख निरीक्षक,खुड़ाला
तहसील-बाली (पाली)

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी
बाली,जिला - पाली (राज.)

तहसीलदार (भू.अ.) बाली

Scanned with CamScanner